05.11.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 4 को पूर्व ममें जवाब हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब पेश नही करने पर अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब बंद किया जाता है अप्रार्थी संख्या 5 प्रकरण में फार्मल पक्षकार होने से अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उभय पक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पहाड़पुरा पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 603 रकबा 1.51 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से उक्त आराजी में मेरे पिता अजैसी का 1/3 हिस्सा होने से उक्त आराजी मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की पैतृक सम्पति है तथा हमारे स्व. दादा लखा द्वारा उक्त आराजी का वर्षो पूर्व बंटवाड़ा कर 1/3 हिस्से की भूमि उनके तीनों पुत्रों को काश्त हुई सुपुर्द की तब से लगातार आज दिन तक प्रदर्श नक्शा ''अ'' अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता अजैसी के बंट की भूमि में अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है शेष लखा के पुत्र नानजी व अजबा के बंट में उसके पुत्रगण काश्त करते थे किन्तु उन्होंने वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा किये बीना अप्रार्थी संख्या 3 को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 व उसके पति पदमाराम द्वारा हमारे बंट व कब्जे काश्त वाली भूमि में जबरन कब्जा करने की नियत से सालिंग, बजरी इत्यादि डालने लगे तथा मेरे द्वारा मना करने पर अप्रार्थी संख्या 3 व उसके पति ने जबरन कब्जा करने की धमकीया दी तथा हमारी फसल नष्ट करने की धमकीया दी तथा अभी भी मौके पर कब्जा करने की व हमारे बंट की भूमि में जबरन पक्की दीवार बनाने पर आमदा है ऐसी सूरत में अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावे। उक्त आराजी मुझ प्रार्थी की पैतृक सम्पति होने से तथा मौके पर प्रदर्श नक्शा ''अ'' अनुसार मुझ प्रार्थी का काश्त कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है किन्तु अगर अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका नही गया तो अप्रार्थी संख्या 3 उसके पति के साथ मिलकर वह रातो रात हमारे कब्जे काश्त वाली भूमि में कब्जा कर देगें जिससे मुझे तरह तरह के मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा जिससे प्रार्थी को काफी अधिक नुकशान होगा ऐसी स्थिती में तीन मूल भूत कानूनी स्तम्भं प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त तथ्यों [illegible] विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि [illegible] की सहखातेदार है तथा उक्त आरा[illegible] स्व. नानजी व अजबा के परिवार से खरीद कर कब्जा प्राप्त कि[illegible] है ऐसी स्थिती में अप्रार्थी संख्या 3 एक खातेदार होने से विधि की दृष्टि से खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती अतः प्रार्थी का प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

पत्र विधि विरूद्व होने से खारीज फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी खातेदार प्रकट होती है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीय का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा पहाड़पुरा पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 603 रकबा 1.51 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:29:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner